

//1//

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-561/10

न्यायालय-साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-561/10
संस्थित दिनांक- 15.12.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- जयपाल सिंह पुत्र गजराम सिंह यादव उम्र 35 साल निवासी ग्राम खिरका थाना चंदेरीआरोपी

: : निर्णय : :

(आज दिनांक- 21.02.2017 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त जयपाल के विरुद्ध धारा 279, 338, 337(तीन बार) भा0द0वि0 के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 01.12.2010 को समय 7:30 बजे खिरका रोड के रपटा पर लोक मार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी08 एमबी 964 उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन मोटरसाईकिल एमपी08 एमबी 964 को उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर फरियादी राधेभैया उर्फ गब्बरसिंह की मोटरसाईकिल टीव्हीएस स्टार सिटी में टक्कर मारकर फरियादी राधेभैया उर्फ गब्बरसिंह को घोर उपहति कारित की तथा उक्त वाहन मोटरसाईकिल एमपी08 एमबी 964 को उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर फरियादी राधेभैया उर्फ गब्बर सिंह की मोटरसाईकिल टीव्हीएस स्टार सिटी में टक्कर मारकर आहत कमलेशबाई, रानी व विशाल को उपहति कारित की।

02. प्रकरण में अवलोकनीय है कि दिनांक 21.02.2017 को फरियादी, आहतगण व आरोपी के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण आरोपी जयपाल को धारा 338, 337(तीनबार) भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03. अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी राधेभैया उर्फ गब्बरसिंह, आहतगण सास कमलेशबाई, पत्नी रानी एवं बेटा विशाल के

साथ चौकी थूबोन में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 01.12.2010 को शाम करीब 7:30 बजे वह अपनी ससुराल खिरिका से अपनी मोटरसाईकिल टीव्हीएस स्टार सिटी से अपने घर ललोई आ रहा था, पीछे उसकी पत्नी रानी, सास कमलेशबाई व पत्नी की गोद में बेटा विशाल को लिये बैठी थी। जैसे ही उसकी मोटरसाईकिल खिरिका रोड रपटा के पास पहुँची कि सामने तारई तरफ से मोटरसाईकिल क्र0 एमपी08 एमबी 964 का चालक जयपाल अपनी मोटरसाईकिल को बड़ी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और उसकी गाडी में टक्कर मार दी जिससे वह व पीछे बैठी सवारी जमीन पर गिर पड़ी। टक्कर से उसके दाहिने हाथ की झिंगली उगली व पत्नी रानी के मुंह व दोनो घुटनो में चोट आयी व सास कमलेश बाई के सिर नाक, घुटनो में चोट होकर खून निकल आया, उसके बेटे विशाल के सिर में चोट आई थी। आरोपी जयपाल अपनी मोटरसाईकिल लेकर खिरका गाँव तरफ भाग गया। उसकी गाडी टूट गई थी, उसने घटना के बारे में खिरका जाकर बृजेन्द्र को बतायी। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये गये, घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, मोटरसाईकिल को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओ के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. राजीनामा उपरांत न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :—

1.	क्या अभियुक्त जयपाल के द्वारा दिनांक 01.12.2010 को समय 7:30 बजे खिरिका रोड के रपटा पर लोक मार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी08 एमबी 964 उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
----	--

: : सकारण निष्कर्ष : :

06. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। राधेभैया उर्फ गब्बर सिंह अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी जयपाल सिंह को जानता है। घटना करीब 6—7 साल पहले की होकर

शाम करीब 8 बजे की है। घटना दिनांक को वह अपनी ससुराल खिरका से अपनी मोटरसाईकिल से अपने घर ललोही जा रहा था और उसके साथ उसकी पत्नी रानी, सास कमलेश बाई और उसकी पत्नी की गोद में उसका छोटा बच्चा विशाल उम्र 3 साल बैठा हुआ था। जैसे ही उनकी मोटरसाईकिल खिरका रोड के पास पहुँची तो रिपटा के पास सामने से आ रही मोटरसाईकिल को देखकर उनकी मोटरसाईकिल को रोड पर पड़े पत्थर पर टकराने से अनियंत्रित होकर गिर गई जिससे वह व उसके साथ बैठी सवारी जमीन पर गिर पड़े जिससे उसे उसकी पत्नी रानी, सास कमलेश बाई व विशाल को चोटे आ गई थी जिसके संबंध में उसके द्वारा चौकी थूबोन में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उनकी चोटों का मेडिकल कराया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07. अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि सामने से बांयी तरफ से आ रही मोटरसाईकिल नम्बर एमपी09 एमव्ही 964 का चालक जयपाल की मोटरसाईकिल बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी का कहना है कि उक्त रिपोर्ट एवं कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका और उसकी पत्नी रानी उसकी सास कमलेश एवं नाबालिक आहत पुत्र विशाल की ओर से आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

08— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रानी अ0सा02, कमलेश बाई अ0सा03 ने भी उनकी साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन न कर अभियोजन द्वारा उन्हें पक्ष विरोधी घोषित कराने के उपरांत पूछे गये सूचक प्रश्नों में अभियोजन के तथ्य को स्पष्ट इंकार किया कि आरोपी जयपाल मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। साक्षी रानी अ0सा02, कमलेश बाई अ0सा03 ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया कि उनकी मोटरसाईकिल सड़क पड़े पत्थर से टकरा गई गई थी जिससे अनियंत्रित होकर उनकी मोटरसाईकिल गिर गई। प्रतिपरीक्षण में अभियोजन साक्षी राधे उर्फ गब्बर अ0सा01, रानी अ0सा02, कमलेश अ0सा03 ने बताया कि घटना वाले दिन आरोपी जयपाल सिंह निवासी खिरका मोटरसाईकिल नम्बर एमपी08 एमबी 964 को नहीं चला रहा था।

09— इस प्रकार अभियोजन की ओर से आई साक्ष्य से स्वयं फरियादी राधे उर्फ गब्बर अ0सा01, आहतगण रानी अ0सा02, कमलेश अ0सा03 ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि घटना के समय अभियुक्त जयपाल उसकी मोटरसाईकिल को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन किया। अतः आरोपी जयपाल को धारा 279 भा0द0वि0 का अपराध प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया जाता है।

10— प्रकरण में जप्तसुदा मोटरसाइकिल बजाज सीटी100 काले रंग की नम्बर एमपी08 एमबी 964 एवं रजिस्ट्रेशन कार्ड पूर्व से सुपुर्दी पर है अतः सुपुर्दीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त समझा जावे। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

11— अभियुक्त द्वारा अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान निरोध में विताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे

12— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया
दिनांकित कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

// 5 //

दाण्डिक प्रकरण कमांक-561/10